न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 1, मीरजापुर।

मुकदमा संख्या–1806/1992
मु0अ0सं0–213/1991
राज्य बनाम सुबोध कुमार वगैरह।
अ0 धारा–356, 511 भा0द0संहिता।
थाना–जी0आर0पी0, जनपद मीरजापुर।

04.03.2025

पत्रावली पेश हुई।

पुकार कराई गयी। अभियुक्त सुबोध कुमार अनुपस्थित है। पत्रावली धारा 299 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य हेतु नियत है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त विगत कई वर्षों से निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र की आदेशिकाएं निर्गत है तथा तामिला के उपरान्त अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 को अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 299 दं0प्र0सं0 में नियत किया गया है। तद्पोरान्त अभियोजन पक्ष को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसके कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त उपरोक्त को फरार घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त को निकट भविष्य में पकड़ा जाना अथवा गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है तथा अभियुक्त का कोई नवीन पता ठिकाना भी उपलब्ध नहीं है। पत्रावली एक्शन प्लान से सम्बन्धित है। अतः इस स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारण्ट निर्गत करते हुए पत्रावली को इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर किया जाना न्यायोचित है कि पत्रावली में लाल स्याही से अंकित किया जाए कि वह विनिष्ट योग्य नहीं है तथा अभियुक्त के उपस्थित होने की दशा में पत्रावली को अभिलेखागार से तलब किया जाएगा।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त सुबोध कुमार के विरूद्ध स्थाई वारण्ट निर्गत करते हुए थाना–जी0आर0पी0, जनपद–मीरजापुर को प्रेषित किया जावे। पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे। पत्रावली को विनिष्ट न किया जावे तथा अभियुक्त के उपस्थित होने की दशा में पत्रावली को अभिलेखागार से तलब किया जाएगा।

(ललिता यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0–1, मीरजापुर।